

[2024] 7 एससीआर 1476 : 2024 आईएनएससी 690

ए.एस. फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

नयति मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

(आपराधिक अपील सं. 3051-3052/2024)

23 जुलाई 2024

[न्या. सी.टी. रविकुमार एवं न्या. संजय करोल]

विचारणीय विवादक

उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या शिकायतकर्ता-अपीलार्थी की सहमति न होने के बावजूद परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध को शमन करने हेतु धारा 482, दं.प्र.सं. के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति तथा धारा 147, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित है।

शीर्ष-टिप्पणियां

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138, 147 - दायरा - विचारण न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 320 के तहत दायर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का शमन करने हेतु आवेदन खारिज किया - अपीलार्थी-शिकायतकर्ता की सहमति के अभाव के बावजूद उच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी-अभियुक्त के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का

शमन कर दिया, इस आधार पर कि अपीलार्थी को समान रूप से मुआवजा दिया गया था - अनुरक्षणीयता:

अभिनिर्धारित: उस सीमा तक अपास्त किया जाता है जिस सीमा तक अनुरक्षणीय नहीं है - दं.प्र.सं. की धारा 482 एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 अलग एवं विशिष्ट हैं - दं.प्र.सं. की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है, जो दं.प्र.सं. के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने हेतु या किसी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने हेतु स्वप्रेरणा से भी प्रयोग की जा सकती है - हालांकि, एनआई अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध को शमन करने का प्रावधान, एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शिकायतकर्ता की सहमति के बिना न्यायालय को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध शक्ति नहीं है - दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां तब लागू होती हैं, जब संबंधित पक्षकार के लिए कोई अन्य प्रभावोत्पादक उपाय उपलब्ध नहीं है और तब नहीं, जहां संबंधित विधि द्वारा कोई विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया हो - दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति एनआई अधिनियम के तहत अपराध का शमन करने की शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य तत्व अर्थात् शिकायतकर्ता की सहमति को अनदेखा करते हुए इसका आह्वान नहीं किया जा सकता है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को धारा 147 के तहत केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही शमन किया जा सकता है। आक्षेपित निर्णय के तहत देय राशि जमा करने और प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा भुगतान करने तथा मामले का निपटान करने की तत्परता के संबंध में विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, कार्यवाही को बहाल करने तथा उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया गया है। अतः, अपीलार्थी की ओर से सहमति के अभाव के बावजूद, शिकायत

और उससे उत्पन्न सभी कार्यवाहियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से अभिखंडित की जाती हैं। [पैरा 11, 17, 19, 21]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138, 147 - भारत का संविधान - अनुच्छेद 142 - राज रेड्डी कल्लम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग - उच्च न्यायालयों द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को इसी तरह से अभिखंडित करना - अस्वीकार्यता:

अभिनिर्धारित: राज रेड्डी कल्लम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि उसमें अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया था तथा आदेशानुसार अतिरिक्त राशि जमा कराई थी - यह उसमें प्राप्त ऐसी विचित्र तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर था कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी की सहमति न होने के बावजूद, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ लंबित कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग किया। -हालांकि, यह एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का 'शमन' करने का एक कारण नहीं हो सकता है, संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति के अभाव में, दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए। - तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनआई की धारा 138 के तहत कार्यवाही को अपास्त कर दिया। अधिनियम की धारा 142 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना उच्च न्यायालयों के लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत

कार्यवाही को अभिखंडित करने का आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, उसी तरह जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्ति केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध है।

उद्धृत निर्णयज विधि

मोनिका कुमार (डॉ.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [\[2008\] 9 एससीआर 943](#) : (2008) 8 एससीसी 781; अरविंद बरसौल (डॉ.) बनाम म.प्र. राज्य (2008) 5 एससीसी 794; दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. [\[2010\] 5 एससीआर 678](#) : (2010) 5 एससीसी 663; के.एम. इब्राहिम बनाम के.पी. मोहम्मद व अन्य [\[2009\] 15 एससीआर 1300](#) : (2010) 1 एससीसी 798; ओ. पी. ढोलकिया बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (2000) 1 एससीसी 762; जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड व अन्य बनाम अमरलाल बनाम जुमानी व अन्य [\[2012\] 3 एससीआर 114](#) : (2012) 3 एससीसी 255; राज रेड्डी कल्लेम बनाम हरियाणा राज्य व अन्य [\[2024\] 5 एससीआर 203](#) : 2024 आईएनएससी 347; मीटर एंड इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम कंचन मेहता [\[2017\] 10 एससीआर 66](#) : (2018) 1 एससीसी 560; धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881, [\(2021\) 4 एससीआर 257](#) के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई: (2021) 16 एससीसी 116; पंजाब राज्य व अन्य बनाम सुरिंदर कुमार व अन्य [\[1991\] पूरक 3 एससीआर 553](#) : (1992) 1 एससीसी 489 - से संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482; परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 147; भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही को अभिखंडित करना; अंतर्निहित शक्ति; परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का शमन करना; अस्वीकृत चेक; सहमति; शिकायतकर्ता की सहमति; शिकायतकर्ता की गैर-सहमति; शिकायतकर्ता की सहमति का अभाव; अपराध के शमन हेतु 'सहमति'; अपराध का शमन; शिकायतकर्ता को मुआवजा; पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करना।

से उद्धृत मामलें

आपराधिक अपील अधिकारिता : आपराधिक अपील सं. 3051-3052/2024

आप.वि.मा. सं. 970/2023 एवं आप.वि.अ. सं. 3701/2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 13.12.2023 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर उपस्थितियां

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण : विमित त्रेहन, ध्रुव द्विवेदी, रवि भारुका।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्तागण : गिरिराज सुब्रमण्यम, सिमरपाल सिंह साहनी, सिद्धांत जुयाल, वेद सिंह, रवि पाठक, सिमर सिंह साहनी, अखिलेश तल्लुरी, जॉय बनर्जी, सुश्री उर्वशी सिंह, आदित्य सिंह।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

विलंब हेतु माफी दी जाती है।

अनुमति प्रदत्त

1. ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामला सं. 970/2023 एवं आपराधिक विविध अपील सं. 3701/2023 में पारित दिनांक 13.12.2023 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थागण के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एतदपश्चात् 'एनआई अधिनियम') की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत मामला सं. 5564/2022 दायर किया। समन प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थागण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं भुगतान करके मामले का निपटान करने हेतु अपनी तत्परता व्यक्त की। अपराध का शमन करने की अनुमति देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.') की धारा 320 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थागण ने धारा 138, एनआई अधिनियम के तहत अपराध का शमन करने हेतु आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष मामला उठाया, साथ ही सी.सी. सं. 5564/2022 एवं आपराधिक वि.मा. सं. 970/2023 में उस पर आगे की सभी कार्यवाही को अभिखंडित करने की मांग की। आरोपित निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से, दं.प्र.सं. की धारा 482, के तहत निहित शक्ति का प्रयोग किया, जो एनआई अधिनियम की धारा 147, के तहत उन शक्तियों के साथ संयुक्त है, तथा इस प्रकार आदेश दिया: -

“17. तदनुसार, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित ए.एस. फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स नयति मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड व अन्य शीर्षक वाले शिकायत मामला सं.

5564/2022 में याचिकाकर्ताओं/अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को एतद्वारा समझौता किया जाता है, यद्यपि याचिकाकर्ताओं द्वारा संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष संचयी चेक राशि 6,50,000/- रुपये (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) चेक रिटर्न मेमो की तिथि से अर्थात् दिनांक 18.03.2020 से राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ-साथ 1,00,000/- रुपये की राशि (एक लाख रुपये मात्र) आठ सप्ताह की अवधि के भीतर जमा करने की शर्त पर। इसे उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पहले से जमा की गई राशि, यदि कोई हो, को उपरोक्त राशि में समायोजित किया जाएगा। प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता उपरोक्त शर्तों के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा की गई राशि की रिहाई के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध दं.प्र.सं. की धारा 320 के तहत शमनीय नहीं है, एवं ऐसी परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया गया था। अतः, दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए, एनआई अधिनियम की धारा 147, के तहत उन शक्तियों का उपयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी की सहमति के बिना अपराध को समझौता नहीं करना चाहिए था।
4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब निर्विवाद स्थिति यह है कि एनआई अधिनियम

की धारा 138 के तहत अपराध एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शमनीय है, तो दं.प्र.सं. की धारा 482, के तहत शक्ति को लागू करने की कार्रवाई के लिए कोई स्पष्ट अवैधता नहीं मानी जा सकती है, साथ ही एनआई अधिनियम धारा की 147, के तहत अपराध को समझौता करने की शक्ति भी शामिल है। प्रत्यर्पण के उक्त तर्क का अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया और तर्क दिया कि अपराध का समझौता करने के लिए शिकायतकर्ता की सहमति की आवश्यकता होती है। शिकायतकर्ता की सहमति के बिना, उच्च न्यायालय द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 138, के तहत अपराध का समझौता करने का निर्णय न्यायोचित नहीं था, यह आगे तर्क दिया गया था।

5. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 320 के तहत दायर एनआई अधिनियम की धारा 138, के तहत अपराध का शमन करने के लिए एक आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ चुनौती पर विचार किया, उच्च न्यायालय ने वास्तव में दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए अपराध को कम किया, साथ ही एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का उपयोग किया। शक्ति के उक्त प्रयोग की वैधता एवं सार्थकता पर विचार करने के लिए, दं.प्र.सं. की धारा 482, के दायरे को समझना अनिवार्य है, साथ ही एनआई अधिनियम की धारा 147 भी समझना अनिवार्य है। दं.प्र.सं. की धारा 482, इस प्रकार है: -

“482. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति.- इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या

प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

6. **मोनिका कुमार (डॉ.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2008) 8 एससीसी 781]**
के निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दं.प्र.सं. की धारा 482, के तहत अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग संयम से, सावधानीपूर्वक एवं सतर्कता के साथ किया जाएगा और केवल तभी किया जाएगा जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है, अर्थात् दं.प्र.सं. के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा।
7. **अरविंद बरसौल (डॉ.) बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2008) 5 एससीसी 794]** के मामले में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि भा.दं.सं. की धारा 498क के तहत अपराध शमनीय नहीं है, लेकिन जब पक्षकारों ने समझौता कर लिया है, तो कार्यवाही जारी रखना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसलिए, दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर याचिका पर इसे रद्द किया जा सकता है। हमने इस निर्णय का हवाला यह दिखाने के लिए दिया कि जब पक्षकार आपराधिक कार्यवाही को बंद करने के पक्ष में हैं जो गंभीर प्रकृति की नहीं है, तो दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

8. अब हम एनआई अधिनियम की धारा 147 का संदर्भ लेंगे और यह इस प्रकार है: -

“147. अपराध का शमनीय होना -

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा।

9. इस प्रकार, दं.प्र.सं. की धारा 482 एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 का एक मात्र अवलोकन यह प्रकट करेगा कि वे भिन्न एवं विशिष्ट हैं। पूर्व में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है, जिसका प्रयोग दं.प्र.सं. के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए स्वप्रेरणा से भी किया जा सकता है। हालाँकि, एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध को शमन करने का प्रावधान, शिकायतकर्ता की सहमति के बिना न्यायालय के लिए उपलब्ध शक्ति नहीं है। हम इस पहलू पर थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करेंगे।
10. अब, प्रतिद्वंद्वी प्रतिविरोधों के संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि दं.प्र.सं. की धारा 482 एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्तियों के संयुक्त प्रयोग से, उच्च न्यायालय ने वास्तव में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को कम कर दिया है, जबकि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी की सहमति नहीं थी। संदर्भ के अनुसार, **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (एआईआर 1992 एससी 604)** में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 102(6) का संदर्भ देना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है: -

"जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्षकार की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।"

(जोर दिया गया)

11. इस प्रकार यह सर्वविदित स्थिति है कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग तब किया जा सकता है जब संबंधित पक्षकार के पास कोई अन्य प्रभावी उपाय उपलब्ध न हो और न ही तब जब संबंधित कानून द्वारा कोई विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया हो। हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि निश्चित रूप से धारा दं.प्र.सं. की 482 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है, उस कारक की अनदेखी करते हुए जो एनआई अधिनियम के तहत अपराध(ओं) का शमन करने की शक्ति के प्रयोग के लिए अनिवार्य है, अर्थात् शिकायतकर्ता की सहमति के लिए अनिवार्य है।
12. इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व कि क्या शिकायतकर्ता, जिसे अपराध का शमन करना है, को एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सहमति की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 12 और 13 का संदर्भ लेना उचित है। वे इस प्रकार हैं: -

"12. मुख्य रूप से, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, एनआई अधिनियम की धारा 138 के साथ एनआई अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा दिए गए सभी उपरोक्त निर्णयों का सार यह है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के शमन के समय शिकायतकर्ता की सहमति अनिवार्य नहीं है, एक बार शिकायतकर्ता को न्यायसंगत रूप से मुआवजा दे दिया गया हो।

13. वास्तव में, जब शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा दे दिया गया है, तो न्याय के हित में और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, शिकायतकर्ता की सहमति के बिना भी अभियुक्त को आरोपमुक्त/बरी किया जा सकता है, क्योंकि एक बार जब अभियुक्त चेक राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व को स्वीकार कर लेता है, तो शिकायत को जीवित रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होगा।”

(जोर दिया गया)

13. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और आरोपित निर्णय के पूर्व उद्धृत पैराग्राफ 12 एवं 13 को पढ़ने के बाद, हम इस विचार से सहमत हैं कि धारा 138, एनआई अधिनियम के तहत अपराध को कम करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 तथा एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति के आह्वान के सवाल पर उच्च न्यायालय की विधिक समझ एवं व्याख्या, उक्त प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के विपरीत है। दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. [(2010) 5 एससीसी 663], के.एम. इब्राहिम बनाम के.पी. मोहम्मद व अन्य [(2010) 1 एससीसी 798] और ओ.पी. ढोलकिया बनाम हरियाणा राज्य व अन्य [(2000) 1 एससीसी 762] में इस न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन में इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत

अपराध को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शमन किया जा सकता है।

14. एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का शमन करने हेतु 'सहमति' की आवश्यकता के संबंध में, एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रश्न अब एकीकृत नहीं है। इस न्यायालय ने जेआईके इंस्ट्रीज लिमिटेड व अन्य बनाम अमरलाल बनाम जुमानी व अन्य [(2012) 3 एससीसी 255] के निर्णय में इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एनआई अधिनियम की धारा 147 में गैर-बाधा खंड को ध्यान में रखते हुये जोकि एक विशेष क़ानून है, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का शमन करने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत प्रावधान निकालने के पश्चात्, इस न्यायालय ने जेआईके इंस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में पैराग्राफ 58 एवं 59 में इस प्रकार अवलोकन किया तथा अभिनिर्धारित किया: -

“58. एनआई अधिनियम की धारा 147 में पूर्वोक्त गैर-बाधा खंड पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दामोदर [(2010) 5 एससीसी 663] में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशगण की न्यायपीठ के निर्णय में कहा गया था कि एनआई अधिनियम की धारा 147 में गैर-बाधा खंड को ध्यान में रखते हुये जो एक विशेष क़ानून है, एनआई अधिनियम के तहत अपराध के शमन के मामले में संहिता की धारा 320 में शमन करने वाले व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

59. यह न्यायालय विभिन्न कारणों से उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है, जिनकी चर्चा निम्नलिखित है।"

15. प्रासंगिक स्थिति में राज रेड्डी कल्लम बनाम हरियाणा राज्य व अन्य [2024 आईएनएससी 347] में इस न्यायालय के हाल के निर्णय का संदर्भ देना प्रासंगिक है। उक्त निर्णय से पता चलता है कि इस न्यायालय ने जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के साथ-साथ मीटर्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम कंचन मेहता [(2018) 1 एससीसी 560] के निर्णय पर भी ध्यान दिया और स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का शमन करने के लिए शिकायतकर्ता की 'सहमति' आवश्यक है। कंचन मेहता (पूर्वोक्त) के मामले में जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय का संदर्भ देने के बाद भी इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'सहमति' के अभाव में भी न्यायालय एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले में अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर सकता है। इसमें इस प्रकार निर्णय दिया गया: -

18.3. यद्यपि समझौता करने के लिए दोनों पक्षकारों की सहमति की आवश्यकता होती है, ऐसी सहमति के अभाव में भी, न्याय के हित में, न्यायालय इस बात से संतुष्ट होने पर कि शिकायतकर्ता को विधिवत मुआवजा दे दिया गया है, अपने विवेकानुसार कार्यवाही बंद कर सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है।

16. लेकिन फिर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद में एनआई अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों के त्वरित परीक्षण में पांच न्यायाधीशगण की संविधान न्यायपीठ ने (2021) 16 एससीसी

116 में कहा कि कंचन मेहता के निर्णय में दं.प्र.सं. की धारा 258 के पठन पर विचारण न्यायालय को “कार्यवाही बंद करने एवं अभियुक्त को बरी करने” का विवेकाधिकार दिया गया, जो कुछ मामलों में कार्यवाही रोकने की शक्ति प्रदान करता है, ‘एक सुस्थापित विधि नहीं है’। राज रेड्डी कल्लम (पूर्वोक्त) के मामले में उपरोक्त स्थितियों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय ने आगे कहा कि कंचन मेहता (पूर्वोक्त) मामले में भी कहीं भी यह नहीं सोचा गया था कि पक्षकारों की ‘सहमति’ के बिना ‘समझौता’ किया जा सकता है। इस स्थिति में यह ध्यान देने योग्य है कि राज रेड्डी कल्लम के मामले में इस न्यायालय ने ‘मामले को अभिखंडित करने’ एवं ‘अपराध का शमन करने’ के बीच उचित अंतर किया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस न्यायालय ने जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जहां इस न्यायालय ने मामले का शमन करने तथा समझौता करने के बीच अंतर इस प्रकार किया है: -

“किसी मामले को अभिखंडित करना शमन करने से अलग है। अभिखंडित करने में, न्यायालय इसे लागू करता है लेकिन शमन करने में यह मुख्य रूप से पीड़ित पक्षकार की सहमति पर आधारित होता है। अतः, दोनों को समान नहीं माना जा सकता है।”

17. उपर्युक्त परिस्थितियों में हमने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का उपयोग करके, संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति के बिना, शमन किया जा सकता है, अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। संक्षेप में, स्थिति यह है कि एनआई अधिनियम की ‘धारा 138 के तहत अपराध को धारा 147 के तहत,

केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही कम किया जा सकता है'। मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय, जिसमें अपीलार्थी-शिकायतकर्ता की सहमति के अभाव के बावजूद एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का इस आधार पर शमन किया गया कि अपीलार्थी को उचित रूप से मुआवजा दिया गया था, कायम नहीं रखा जा सकता है।

18. शामिल मुद्दों के संदर्भ में मामले के दूसरे पहलू पर भी विचार करने की आवश्यकता है। राज रेड्डी कल्लम (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय भी इसी तरह के आधार पर है, क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता को अभियुक्त द्वारा विधिवत मुआवजा दिया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता अपराध का शमन करने के लिए सहमत नहीं था। यह देखने के बाद कि न्यायालय शिकायतकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का शमन करने के लिए सहमति देने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं, राज रेड्डी कल्लम (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने प्राप्त विशिष्ट तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया एवं एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ लंबित कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए भारत के संविधान की धारा 142 के तहत शक्ति का प्रयोग किया। यह सच है कि राज रेड्डी कल्लम के मामले में यह शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी की गैर-सहमति के बावजूद था कि अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को अभिखंडित कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को मुआवजा दिया था तथा इसके अलावा अतिरिक्त राशि जमा की थी, जैसा कि इस न्यायालय ने आदेश दिया है। हमें यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि केवल इसलिए कि इस न्यायालय ने ऐसे पहलुओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद

142 के तहत शक्ति का आह्वान करके कार्यवाही को 'अभिखंडित' कर दिया, इससे पहले संदर्भित निर्णय के मद्देनजर संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति के अभाव में दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति और एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए धारा एनआई अधिनियम 138 के तहत अपराध का 'शमन' करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह तथ्य कि इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए धारा एनआई अधिनियम 138 के तहत कार्यवाही को अभिखंडित कर दिया, उच्च न्यायालयों के लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को उसी तरह से अभिखंडित करने का आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध है। इस संदर्भ में पंजाब राज्य व अन्य बनाम सुरिंदर कुमार व अन्य [(1992) 1 एससीसी 489] में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशगण की न्यायपीठ का संदर्भ लेना प्रासंगिक है, इस न्यायालय ने इसके पैराग्राफ 6 से 8 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था: -

6. एक निर्णय केवल तभी मिसाल के तौर पर उपलब्ध होता है जब वह कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय लेता है। अतः, प्रत्यर्थी इस न्यायालय के उस आदेश पर भरोसा करने के हकदार नहीं हैं जो किसी अस्थायी कर्मचारी को बिना कारण बताए उसकी सेवा में नियमित करने का निर्देश देता है। यह माना जाना चाहिए कि उन मामलों में अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो विशेष आधार उपलब्ध रहे होंगे, उनके लिए वे दी गई राहत के हकदार थे। केवल इसलिए कि इस न्यायालय के निर्णय में आधारों का उल्लेख नहीं किया गया

है, इसे बिना किसी पर्याप्त विधिक आधार के पारित किया गया नहीं समझा जा सकता है। किसी आदेश के लिए कारण बताने की आवश्यकता के प्रश्न पर, उस न्यायालय और अन्य न्यायालयों के बीच अंतर को ध्यान में रखना होगा जिसका निर्णय आगे अपील के अधीन नहीं है। किसी निर्णय के समर्थन में आधारों का प्रकटीकरण करने और उन पर चर्चा करने का एक मुख्य कारण किसी चुनौती के मामले में उच्च न्यायालय को उसकी जांच करने में सक्षम बनाना है। बेशक, प्रत्येक आदेश या निर्णय के लिए कारण बताना वांछनीय है, लेकिन इस न्यायालय के मामले में यह आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। अतः, यह सुझाव देना व्यर्थ है कि यदि इस न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जो स्पष्ट रूप से आक्षेपित आदेश के समान प्रतीत होता है, तो उच्च न्यायालय भी ऐसा कर सकता है। एक और कारण है कि उच्च न्यायालय को इस न्यायालय के बराबर क्यों नहीं माना जा सकता है। संविधान ने अनुच्छेद 142 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश देने का अधिकार दिया है जो “उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए” आवश्यक हो सकते हैं, जो अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। रिट याचिका के निपटान के दौरान उच्च न्यायालय की अधिकारिता, न्यायिक निर्णयों द्वारा वर्णित एवं घोषित सीमाओं के भीतर होगी तथा यह किसी एक न्यायाधीश से किसी अन्य न्यायाधीश की भिन्न-भिन्न कल्पना या न्याय की व्यक्तिपरक भावना के आधार पर, सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

7. यह सच है कि उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं या सिविल पुनरीक्षण आवेदनों पर निर्णय देने में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करने का हकदार है, लेकिन यह विवेक

याचिकाओं पर विचार करने से इंकार करने तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत को पर्याप्त विचार के आधार पर देने से इंकार करने तक ही सीमित है; तथा यह उच्च न्यायालय को केवल ऐसे विचार के आधार पर राहत देने की अनुमति नहीं देता है।

8. अतः, हम प्रत्यर्थीगण की ओर से दिए गए इस तर्क को खारिज करते हैं कि उच्च न्यायालय न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का हकदार है। तदनुसार, हम आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए बिना किसी खर्च के, अपील को स्वीकार करते हैं।

19. चर्चा का निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 के तहत अपराध का शमन करने हेतु दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए स्पष्ट रूप से त्रुटि की है। अतः, दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत निहित शक्ति एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का उपयोग करके एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का शमन करने हेतु आरोपित निर्णय को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।
20. हालाँकि, स्थिति यह है कि प्रत्यर्थीगण ने अब तक 6,50,000/- रुपये की राशि चेक की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ जमा कर दी है, इसके अलावा 1 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त रूप से देय है, जैसा कि विचारण न्यायालय के समक्ष आक्षेपित निर्णय के तहत आदेश दिया गया है। अतः, यह राशि अपीलार्थी-शिकायतकर्ता द्वारा वापस ली जा सकती है।

21. इस प्रकार आक्षेपित निर्णय के तहत देय राशि जमा करने के संबंध में प्राप्त विचित्र स्थिति को देखते हुए, तथ्य यह है कि अस्वीकृत चेक सं. 17632 दिनांक 19.01.2020 एवं 17633 दिनांक 09.02.2020 क्रमशः 3,00,000/- रुपये और 3,50,000/- रुपये के थे और आगे तथ्य यह है कि समन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने भुगतान को प्रभावित करने एवं मामले के निपटान हेतु अपनी तत्परता व्यक्त की है, हम इस विचार से हैं कि कार्यवाही को बहाल करने एवं विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी निरंतरता की अनुमति देने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि हमने आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक अलग रखा है कि यह एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का शमन करता है, दं.प्र.सं. की धारा 482 एवं एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत शक्ति का आह्वान करता है। अतः, अपीलार्थी शिकायतकर्ता की सहमति के अभाव के बावजूद, हमने पाया कि पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने एवं शिकायत मामला सं. 5564/2022 तथा उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाही को अपास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का उपयोग करना एक उचित मामला है। अतः, शिकायत मामला सं. 5564/2022, जो महानगर दंडाधिकारी (एनआई अधिनियम), डिजिटल न्यायालय-02/एसईडी, साकेत जिला न्यायालयों के न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा अग्रिम सभी कार्यवाही को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी-शिकायतकर्ता, विधि के अनुसार, विचारण न्यायालय के समक्ष जमा की गई पूरी राशि अर्थात् 6,50,000/- रुपये, प्रश्नगत चेक की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ तथा अतिरिक्त भुगतान किए गए 1,00,000/- रुपये को वापस लेने का हकदार होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में

की गई टिप्पणियां, यदि कोई हों, केवल उपर्युक्त अपीलों पर निर्णय देने के उद्देश्य से हैं।

22. अपीलों का निपटान उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलों का निपटान किया गया।

दिव्या पांडे: द्वारा शीर्ष टिप्पण तैयार किया गया।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.